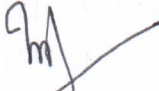


प्रपत्र-54

परियोजना का नाम	:- शा0 संख्या-41/111-2/04-55 (बजट)/04 दिनांक 30/3/2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । कि०मी० 1 से 8.000 तक
-----------------	--

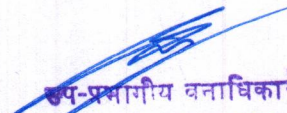
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

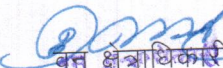
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


अधिशासी अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी


वन क्षेत्राधिकारी
रीडर श्रेणी
चकराता वन प्रभाग

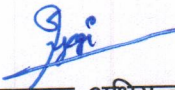

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग
देहरादून

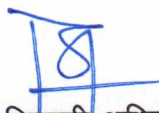
परियोजना का नाम	:- शा0 संख्या-41/111-2/04-55 (बजट)/04 दिनांक 30/3/2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । कि०मी० 1 से 8.000 तक
-----------------	--

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजन हेतु यदि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यकता अनुसार ली जायेगी ।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०,सहिया

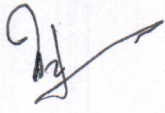

सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०,सहिया

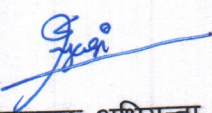

अधिशाली अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०,सहिया

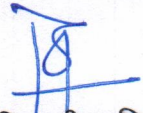
परियोजना का नाम :-	शा0 संख्या-41/111-2/04-55 (बजट)/04 दिनांक 30/3/2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । कि०मी० 1 से 8.000 तक
--------------------	--

विस्फोटकों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में सड़क नव निर्माण कटिंग के दौरान पडने वाले चट्टानों पर कम तीव्रता के विस्फोटकों का प्रयोग संलग्न स्थानों के विवरण के अनुसार किया जायेगा। जिसका निविदा आमंत्रण/स्वीकृत होने के पश्चात कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०,सहिया


सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०,सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०,सहिया